भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

दिनांक 03 अगस्त 2012 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जी (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया) की अध्यक्षता में आयोजित वाणिज्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक से संबंधित कार्यवृत : अनुवर्ती कार्रवाई।

क्र.सं.	मद/लिए गए निर्णय	संस्थान में स्थिति/संस्तुति
1	वाणिज्य विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं में राजभाषा संबंधी गतिविधियों का भी समावेश किया जाए।	संस्थान से प्रकाशित गृह-पत्रिका 'यज्ञ' में राजभाषा संबंधी गतिविधियों का समावेश किया जाता है, तथा भविष्य में इसका विस्तार कर दिया जाएगा।
2	हिंदी शिक्षण योजना के तहत शेष कर्मचारियों को भी हिंदी प्रशिक्षण दिलाया जाए। हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े भरते समय आंकड़ों की जॉच की जाए।	संस्थान में हिंदी प्रशिक्षण का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है, तथा हिंदी में अधिकाधिक कार्य के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों की उपयुक्त जॉच की जाती है।
3	अधिकारीगण भी हिंदी में कार्य करें, ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता रहे।	विभागीय तिमाही बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है।
4	राजभाषा अधिनियम के नियम 8(4) के अंतर्गत और अधिक अनुभागों को हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। प्रति तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।	संस्थान में अधिकांश अनुभागों को हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
5	हिंदी पत्राचार को राजभाषा विभाग के लक्ष्य के अनुसार बढ़ाया जाए। बैठक के पश्चात सभी अधिकारियों द्वारा हिंदी में वार्तालाप करना चाहिए।	संस्थान में हिंदी पत्राचार के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक के पश्चात अधिकारियों द्वारा हिंदी में वार्तालाप के लिए निर्देश दिए गए हैं।
6	मंत्रालय एवं संबद्ध सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों संस्थानों में हिंदी पत्राचार सीधे कंप्यूटर एवं ई-मेल के जरिए किया जाए। सभी कार्यालयों में पुराने फोंट के स्थान पर, यूनिकोड़ का	हिंदी में पत्राचार सीधे कंप्यूटर एवं ई-मेल के जरिए किए जाने के लिए तथा इंटरनेट की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हिंदी कार्यशालाओं में कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण

	प्रयोग किया जाए। गूगल के जरिए ई-मेल का प्रयोग आरंभ करके इंटरनेट के प्रयोग को बढ़ाया जाए।	दिया जा रहा है। संस्थान में सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड़ अधिष्ठापित किया गया है।
7	हिंदी शब्दावली में हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं का भी समावेश किया जाए।	संस्थान में लेखन व्यवहार में इसका अनुपालन प्रारंभ कर दिया गया है।

(एस.के. वर्मा)

प्रशासनिक अधि. हिंदी